कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-99/2016-17/

दिनांक : /04/2017

सेवा में,

अपर मुख्य अधिकारी,

जिला पंचायत, रुद्रपुर,

जनपद - उधमसिहं नगर

विषय : जिला पंचायत, उधमसिहं नगर का वर्ष 2015-2016 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के **भाग -4 (ब)-1 में शुन्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 03 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर** हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 99/2016-17/ दिनांक : /04/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये जिला पंचायत, उधमसिहं नगर पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री	-		अध्यक्ष(जिला पंचायत)
श्री तेज सिंह	-		अपर मुख्य अधिकारी
श्री..	-		अपर मुख्य अधिकारी
(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम	(i)		श्री बी.एस.चन्देल,व. ले.प.अ.
	(ii)		श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ.
	(iii)		श्री लक्ष्मण सिहं, व.ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 25.02.2017 से 04.03.2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2015 से 2016 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम: **जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिहं नगर,**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:- KP-07

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र :- 3383 वर्ग मी.

जनसंख्या : 636079

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या:- 42

3.(अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 03

4.(ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-06 बैठक: 03

5. कर्मचारियों की संख्या: -37

6. पंचायतराज की सम्पत्तियां: - कार्यालय भवन एवं 03 आवासीय भवन

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -
   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -
   (द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि:

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय: भाग 03 के अनुसार
    (अ) सामान्यः-
    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत उधमसिहं नगर** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2015-2016 तक की सम्प्रेक्षा श्री बी.एस.चन्देल, व.ले.प.अ, श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ., श्री लक्ष्मण सिंह, व.ले.प. द्वारा दिनांक 25.02.2017 से 04.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**	**स्टैन**
AIR-537/2014-15	शुन्य	प्रस्तर-1,3,4	प्रस्तर-243
AIR-110/2015-16	प्रस्तर-01	प्रस्तर-01	प्रस्तर-01

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-		

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - शून्य

भाग 4 (ब)–2

प्रस्तर 01– उपविधि के अनुसार करारोपण एवं वसूली न किये जाने से राजस्व की हानि।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अनुसार संबद्ध जिला पंचायत के मुख्य कर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 119,122, 128 एवं 239 के अनुसार क्षेत्रांतर्गत संस्थानों, व्यवसायियों, ठेकेदारों आदि पर कर का आरोपण तथा वसूली की जानी थी।

जिला पंचायत, उधमसिंह नगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा करों का निर्धारण अधिनियम की धारा के अनुरूप नही किया गया था जैसे कि– जिला पंचायत के क्षेत्रांतर्गत आने वाले व्यवसायियों पर कर के निर्धारण हेतु उनकी आय एवं उस पर लगाये जाने वाले कर हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित नही थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कर–निर्धारण एवं वसूली में निम्नलिखित कमियॉ थी–

(I) **सम्पति एवं विभवकर–** जिला पंचायत, उधमसिंह नगर द्वारा बनायी गयी उपविधि के अनुसार रू0 36000/–वार्षिक आय से अधिक आय पर सम्पति एवं विभव कर 3 प्रतिशत की दर से लगाया जाना था। जबकि इकाई द्वारा उपविधि का पालन न करते हुए कर वसूलीकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार आय का निर्धारण किया गया एवं करारोपण भी 3 प्रतिशत से कम किया गया जिससे जिला पंचायत को राजस्व की हानि हो रही थी। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा सम्पति एवं विभव कर से सम्बंधित कम्प्यूटराईज्ड डाटा भी उपलब्ध नही था।

(II) **लाइसेंस–** इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि जिला पंचायत उधमसिंह नगर के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानदारों/व्यवसायियों पर उपविधि में दिये गये निर्देशों/दरों पर करारोपण/वसूली की जानी थी। इकाई के पास उपरोक्त से सम्बंधित कम्प्यूटराइज्ड डाटा उपलब्ध नही था। कुछ ऐसे व्यवसाय जिनका जिक्र उपविधि में नही किया गया था लेकिन उससे भी कर की वसूली की जा रही थी।

(III) **मृत शव निस्तारण–** जिला पंचायत क्षेत्रांतर्गत स्थित 07 विकास खण्डों के सापेक्ष 05 विकास खण्डों पर मृत शव निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसके सापेक्ष 04 विकास खण्डों पर निविदाएं प्राप्त हुई, जिससे वित्तीय वर्ष 2015–16 में विगत वर्ष की अपेक्षा 11 से 73 प्रतिशत अधिक धनराशि प्राप्त हुई। जबकि जिन पर निविदा आमंत्रित नही की गयी थी(जसपुर एवं रूद्रपुर) में मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए आवंटन किया गया था जिससे इकाई को लाइसेंस/रायल्टी की धनराशि के प्रतिस्पर्धात्मक दरों के लाभ से वंचित होने से इन्कार नही किया जा सकता।

(IV) **हाटबाजार–**जिला पंचायत, उधमसिंह नगर के क्षेत्रांतर्गत तहबाजारी पर लाइसेंस शुल्क लगाने हेतु कम्प्यूटराइज्ड डाटा उपलब्ध नही था।आगे जॉच में पाया गया कि क्षेत्रांतर्गत स्थित केवल हाट बाजारों पर ही निविदा के माध्यम से वसूली की गयी थी।निविदा में जो उच्चतम धनराशि पर निविदा स्वीकृत की गयी थी पर स्टैंप डयूटी 2 प्रतिशत की दर से लगायी जानी चाहिए थी। जबकि इकाई द्वारा प्रत्येक निविदाकर्ता से जिसको अंतिम रूप से आवंटन किया गया मात्र रू0 100/– की दर से स्टैंप डयूटी ली गयी थी जिससे इकाई को रू0 117405/– की हानि हुई थी।

(V) **सम्पति से आय–**इकाई के सम्पति सम्बंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला पंचायत, उधमसिंह नगर में स्थित चल–अचल सम्पति का विवरण इकाई के पास उपलब्ध नही था। जिससे यह स्पष्ट नही था कि क्षेत्रांतर्गत कितनी चल–अचल सम्पति है। परिणाम स्वरूप सम्पति से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि से इन्कार नही किया जा सकता।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वित्तीय वर्ष 2017–18 से कर दाताओं का कम्प्यूटराइज्ड डाटा तैयार किया जायेगा एवं उपविधि में निर्धारित दर के अनुसार करारोपण तथा वसूली की जायेगी। इकाई का उत्तरमान्य नही है क्योकि उपविधि के अनुसार करारोपण एवं वसूली न किये जाने से राजस्व हानि से इन्कार नही किया जा सकता ।

अतः उपविधि के अनुसार करारोपण एवं वसूली न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4(ब)–2

प्रस्तर 3– रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-V भाग-I के नियम 27(A) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में रोकड़ बही का रख-रखाव प्रपत्र 2 अथवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाना आवश्यक है जिसमे कार्यालय द्वारा समस्त प्राप्तियों/सरकारी धन व उसके बैंक/कोषागार में जमा किए जाने का विवरण तथा कोषागार/बैंक से बिलों/चेकों के माध्यम से आहरित/व्यय धनराशि का अलग-अलग स्तंभ (Column) में अवश्य अंकन किया जाना चाहिए। रोकड़ बही की प्रतिदिन लेखाबन्दी की जानी चाहिए एवं अवशेष धनराशि का मिलान किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तंभ (Column) के अवशेष को कार्यालय अध्यक्ष या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के अंतिम अवशेष का बैंक/कोषागार/नगद रोकड़ से मिलान किया जाना चाहिए एवं इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र भी लगाना चाहिए।

इकाई जिलापंचायत, उधमसिंह नगर के रोकड़ बही की जांच में निम्नलिखित त्रुटियां पायी गयी–

(i) इकाई द्वारा रोकड़ बही का रख–रखवा नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारितप्रारूप पत्रों में नही किया जा रहा था।

(ii) इकाई द्वारा नकद भुगतान किया जा रहा था।

(iii) बाउचरों पर 'Paid & Cancelled' की मुहर नही लगायी जा रही थी।

(iv) कर वसूलीकर्ताओं द्वारा वसूल किये करों को वसूली की तारिख से 12 से 20 दिन के अंतराल में बैक में जमा किया जा रहा था।

(v) **प्रपत्र 01 एवं क्लासिफाइड में दर्ज विभिन्न मदों की धनराशियों में अंतर पाया गया (संलग्नक 'क')।**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपनें उत्तर में बताया कि उक्त त्रुटियों का यथाशीघ्र समाधान किया जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार किया जाना चाहिए।

अतः रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक "क"

कार्यालय जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2105-16 के प्रपत्र 1 एवं मदवार पंजिका (Classified Register) में अंकित धनराशियों में अंतर

क्र. स.	मद	प्रपत्र 1 के अनुसार धनराशि (`लाख में)	मदवार पंजिका (Classified Register) के अनुसार		अंतर की धनराशि (` लाख में)
			धनराशि (`)	पृष्ठ संख्या	
1.	संपत्ति एवं विभव कर	**33.17**	**3310800**	P/10	**0.06**
2.	लाइसेन्स	**63.51**	**6327080**	P/2+3+4+5+6	**0.24**
3.	मृत पशु शव निस्तारण	**2.49**	**249200**	P/8	**0.002**
4.	हाट बाजार/तहबाजारी	**76.92**	**8804101**	P/7	**11.12**
5.	लदान-ढुलान	**53.19**	**5318520**	P/11	**Nil**
6.	विविध	**45.50**	**1757738**	P/14	**27.92**
7.	संपत्ति से आय	**1.92**	**200997**	P/9	**0.08**

<u>भाग 4(ब)–2</u>

प्रस्तर 2:-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत ` 14.25 करोड़ के निर्माण कार्यो से उपकर की कटौती न करके कल्याण बोर्ड़ निधि में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र संख्या/740-VII/14-680(श्रम 2002/(टी.सी-.II दिनांक 2013-08-13 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिको के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम -भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार)नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन(अधिनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998के अन्तर्गत अधिनियमित किये गये हैं जिसमें निर्माण श्रमिको के पंजीयन के उपरान्त उन्हे विभिन्न हितकारी योजनाओं द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु प्रावधान निहित किये गये है।

उक्त अधिनियम में पंजीकृत श्रमिको के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानो द्वारा अपने निर्माण कार्यो की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में कल्याण बाड़ की निधि में जमा किये जाने का प्रावधान था। इसके अन्तर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये है जिनमे दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे है। उत्तराखण्ड़ शासन ने ज़िला पंचायतों के कार्याधिकारियों को उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्रणाधीन कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्यो या जहां निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकारी अनुमोदन आवश्यक है को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रुप में नियुक्त किया गया था।

कार्यालय अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर की अनुदान पंजिका एवं अन्य बजट अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत वर्ष 2015-16 मेंनिम्नांकित धनराशि के निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से संपादित करवाए गए थे:-

क्र.	योजना का नाम	कुल धनराशि	व्यय
1	विधायक निधि	33549375	28555958
2	सांसद निधि	7648167	5982344
3	दैवीय आपदा	742011	730269
4	बार्डर एरिया	570051	0
5	राज्य वित्त	109206802	75951450
6	13वां वित्त	22756630	21580836

7	**समाज कल्याण**	**8710000**	**6193842**
8	**विकास शुल्क निधि**	**3770895**	**3550773**
	योग	**186953931**	**142545472**

आगे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया किइकाई द्वारा न तो निर्माण कार्यों के आगणन में *एक प्रतिशत*उपकर का प्रावधान किया गया था और न ही ठेकेदारों को किए गए भुगतानो के बिलों से उपकर की कटौती की गयी थी जिसे कि कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किया जाना था।

लेखा परीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों के अभाव में उपकर का प्रावधान व कटौती नहीं की गयी थी। उक्त के संबंध में बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपकर की कटौती के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा वर्ष 2014 में अथवा उससे पहले भी निर्देश जारी कर दिये थे। जिला पंचायत द्वारा नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया है परिणाम स्वरुप ` 14.25करोड़ के निर्माण कार्यो के सापेक्ष उपकर की कटौती नहीं की गयी है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञांन में लाया जाता है।

भाग-चार अनुभाग (स)

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका कार्यस्थल पर समाधान नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी उधमसिहं नगर, जनपद - उधमसिहं नगर,** को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेद दे।